FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...उपखण्ड अधिकारी

मुकाम राजगढ जिला चूरू

सुनिता बनाम सरकार

...मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 240 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
	निर्णय	
10/2/21	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी सुनिता पुत्री गोमंदराम पत्नी सांवतराम निवासी बास रडु.साना तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. — ख0नं0 467, 493, 503 कुल तादादी 11.2554 है० रोही मौजा बास रडु.साना तहसील राजगढ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का गलत नाम गुड्डी भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम सुनिता पुत्री गोमंदराम दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. ...... ख0नं0 467, 493, 503 कुल तादादी 11.2554 है० रोही मौजा बास रडु.साना तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम गुड्डी के स्थान पर सही नाम सुनिता पुत्री गोमंदराम शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	